न्यायालय : जिला एवम् अपर सत्र न्यायाधीश तृतीय

व्यवहार न्यायालय, मुंगेर

अग्रिम जमानत आवेदन संख्या 475/2026

02.05.2026 आवेदक **गौरव कुमार** की ओर से अग्रिम जमानत आवेदन दाखिल किया गया। आवेदक को **कासिम बाजार थाना काण्ड संख्या 296/2025** अन्तर्गत **धारा 331 (4), 305 बी0 एन0 एस0 एस0** में गिरफ्तारी की आशंका के कारण प्रस्तुत अग्रिम जमानत आवेदन दाखिल किया गया है।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री त्रिपुरारी कुमार वर्मा एवं राज्य की ओर से विद्वान अपर लोक अभियोजक को सुना।

प्राथमिकी के अनुसार अभियोजन का वाद संक्षेप में यह है कि सूचक शशि बाला सिन्हा दिनांक 01.10.2025 को मेरे घर में 12 ए0 एम0 से 3 ए0 एम0 के बीच चोरी हुआ है, चोरी गए सामान की सूचि मैं भेज रही हूँ। 1. सोना (ए) गले का नेकलेस, (बी) कान में ईयरिंग–3 पीस, (सी) हाथ का कंगन, (डी) अंगुठी–2 पीस, (ई) गले का चेन +लाकेट– 5 जोड़ा, 2. चांदी (एफ) कमरधनी, (जी) पायल–5 जोड़ा, (एच) विछिया–6 जोड़ा, (आई) मठिया–5 जोड़ा, 3. कैश–20 हजार, 4. कपड़ा–10 सेट। श्रीमान् से निवेदन है कि उपरोक्त सामान के खोजने में मेरी मदद की जाय।

02.05.26

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि यह कि, वर्तमान केस सूचिका शशि कला सिन्हा के लिखित आवेदन के आधार पर दर्ज किया गया है, जो इस प्रकार है। यह कि, दिनांक 7.10.2025 को सूचिका के घर में 12 बजे से 3 बजे के बीच चोरी हुआ। यह कि, सूचिका आगे कहते हैं कि चोरी किए गए सामान में सोने का गले का नेकलेस, कान का रिंग तीन पीस, हाथ का कंगन, अंगूठी 2 पीस, गले का चेन लोकेट 5 जोड़ा, चांदी का कमरधनी, पायल 5 जोड़ा एवं नगद 20 हजार रूपया, कपड़ा 10 सेट। यह कि, पूर्व में प्रार्थी कि ओर से अग्रिम या नियमित जमानत आवेदन न तो श्रीमान् के समक्ष और न ही मान्नीय उच्च न्यायालय, पटना में दाखिल किया गया है। यह कि, प्रार्थी का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। यह कि, प्रार्थी निर्दोष है एवं उपरोक्त वाद में झूठा फंसाया गया है। यह कि, प्रार्थी का नाम प्राथमिकी में अंकित नहीं है। यह कि, प्रार्थी का नाम इस वाद में गिरफतारकिएगए अभियुक्त विकम सहनी के स्वीकारोक्ति बयान के आधार पर आया है। यह कि, प्रार्थी के घर से कोई भी सामान बरामद नहीं हुआ है। यह कि,

न्यायालय : जिला एवम् अपर सत्र न्यायाधीश तृतीय
व्यवहार न्यायालय, मुंगेर
अग्रिम जमानत आवेदन संख्या 475 / 2026
जमानत आदेश दिनांक 02.05.2026

लगातार
02.05.2026

स्थानीय पुलिस प्रार्थी को गिरफ्तार करना चाहती है। यह कि, प्रार्थी अनुसंधान में पूर्ण सहयोग करेगा। यह कि, प्रार्थी श्रीमान् के निर्देशानुसार बंधपत्र देने के लिए तैयार है। अतः, श्रीमान् से प्रार्थना है कि प्रार्थी का अग्रिम जमानत आवेदन स्वीकार करने की कृपा की जाय।

विद्वान सहायक अभियोजन पदाधिकारी के द्वारा जमानत आवेदन का विरोध किया गया।

उभयपक्षों को सुना। अभिलेख तथा काण्ड दैनिकी का अवलोकन किया, जिससे स्पष्ट है कि कथित घटना दिनांक 01.10.2025 को किया गया है और प्राथमिकी दिनांक 05.10.2025 को अज्ञात के विरूद्ध दर्ज करायी गयी है। काण्ड दैनिकी के कंडिका 83 में कोई आपराधिक इतिहास आवेदक अभियुक्त का नहीं है। अभियुक्त का नाम संस्वीकृति के आधार पर आया है और इनसे कोई जप्ती भी नहीं है। सह अभियुक्त की जमानत दिनांक 06.01.2026 तथा दिनांक 20.02.2026 को विद्वान मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी द्वारा दी जा चुकी है।

02.05.26

उपरोक्त तथ्यों, परिस्थितियों के आलोक में न्यायालय आवेदक अभियुक्त को अग्रिम जमानत आवेदन का लाभ देना उचित समझती है। अतः, आवेदक अभियुक्त को मो० 10,000/– (दस हजार रूपये) रूपया के दो (02) समान राशि के प्रतिभूओं के साथ बंधपत्र दाखिल करने पर विद्वान न्यायालय के संतुष्टि पर निम्नलिखित शर्तों पर अग्रिम जमानत पर छोड़ने का आदेश दिया जाता है।

1. **आवेदक का एक जमानतदार परिवार के सदस्य अथवा उसका निकटवर्ती संबंधी होगा।**
2. **आवेदक अभियुक्त अन्तर्गत धारा 482 (2) बी० एन० एस० एस० के तहत शपथपत्र दाखिल करेंगे।**
3. **आवेदक अभियुक्त प्रत्येक तिथि को हाजिरी–पैरवी दाखिल करेंगे।**

लगातार
02.05.2026

4. **इस आदेश के प्राप्ति के 20 (बीस) दिनों के अंदर विद्वान न्यायिक दण्डाधिकारी के न्यायालय में बंधपत्र दाखिल करेंगे।**

कार्यालय आदेश की प्रति अविलंब संबंधित न्यायालय में भेंजे।

लेखापित

(विकास मिश्र)
जिला एवम् अपर सत्र न्यायाधीश तृतीय
व्यवहार न्यायालय, मुंगेर
दिनांक 02.05.2026